न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-86/2015

मोहनराम पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी जाखल तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- रामेश्वर पुत्र हरिराम
2- गुलाराम पुत्र चन्द्राराम
3- रूकमणीदेवी धर्मपत्नी गु.ाराम

जाति जाट निवासी ग्राम जाखल तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19-5-2015 द्वारा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री भंवरलाल बिजारणियां एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 4.6.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं0 34 रकबा 3.75 हैक्टर ग्राम जाखल तहसील लक्ष्मणगढ में स्थित है। इसी ग्राम में आराजी ख0नं0 31 रकबा 2.40 हैक्टर के खातेदारी अप्रार्थी संख्या-1 से 3 है । खसरा नं0 34 में प्रार्थी मय परिवार आबाद है। इस आराजी में एक कुआ बना रखा है ।

Web Copy - Not Official

प्रार्थी के खेत ख0नं0 34 में रास्ता ख0नं0 31 में से ही जाता है ।इस रास्ते को अप्रार्थीगण ने अवरूद्ध कर दिया। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है ।अतः प्रार्थी को ख0नं0 31 में से 20 चौडाई का रास्ता ख0नं0 31 की उत्तरी सीमा जो प्रार्थी के खेत से सटकर ग्रवल सडक तक जुडी हुई है की सीमा तक रास्ता काटा जावे। अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 10 फट चौडा रास्ता ख0नं0 31 में से दिये जाने के आदेश दिये जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । धारा-251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत को इस बात के लिये सन्तुष्ट होना होगा कि इस भूमि के कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अथवा नहीं । रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में न तो यह बताया कि इस खेत के अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है और ना ही इस प्रकार की कोई साक्ष्य अदालत मातहत ने प्राप्त की तथा ना ही तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट में इस बाबत कोई उल्लेख किया है । इस प्रकार अदालत मातहत ह ने वैकल्पिक रास्ता मौजूद न होने की सन्तुष्टि के बिना आदेश पारित किया है जो कानून के विपरित है ।ब तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट से प्रभावित होकर मौके की रिपोर्ट मौके के विपरित पेश की है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के खेत में आने जाने का कम दूरी का रास्ता दक्षिणी और से एवं पूर्वी और से मौजूद है किन्तु योग्य अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-251(ए) के प्रावधानो के विपरित है ।दिया है । ख0नं0 31 की उत्तरी सींव पर रिहायशी मकान बने हुये है एवं 10 फुट चौडाई का रास्ता मकान को तौडे बिना नहीं दिया जा सकता ।इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत ने अपना आदेश तथ्यों के विपरित पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि...

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0 2058 से 2061 में आराजी ख0नं0 26, 34, 72 की खातेदारी काना पुत्र खींवा, हीरा पुत्र नोपा के नाम दर्ज है । नामा0सं0-116 के द्वारा हीरा पुत्र नोपा का देहान्त होने पर हीरा के ब 1/2 हिस्से पर रामेश्वर ब0ब0 नरसीराम अन्नाराम पि0 हीरा, मालीदेवी बेवा हीरा के नाम दर्ज है ।खसरा नं0-31 की खातेदारी मोहन पुत्र चूनाराम हि0 1/4 मूना पि0 पूराराम हि0 1/4 भगवाना गुल्ला पि0 चन्द्रा हि0 1/2 के नाम दर्ज है । खसरा नं0-31 व 34 की मौके पर जांच की जिसमें रेस्पोडेन्ट सं0-1 द्वारा चाहा गया रास्ता सरकारी रास्ते से ख0नं0 36 से निकल कर ख0नं0 31 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे खं0नं0 34 पर मौके पर अवस्थित बताया है ।इस रास्ते के अलावा खं0नं0 34 में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं बताया है। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने मौके पर रास्ते के बदले जमीन अथवा पैसे दोनो में से जो चाहे देने के लिये तैयार है । यह तथ्य मौके की रिपोर्ट में दर्ज है ।मौका रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मौके पर इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । अपीलान्ट का यह कहना गलत है कि अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर आदेश पारित किया है ।यह तथ्य मौका रिपोर्ट में ही बिन्दू संख्या-5 पर स्पष्ट दर्ज किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के खेत खं0नं0 34 में इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। मौके पर 8-10 फुट चौडा रास्ता चालू है । इससे अधिक चौडा रास्ता के लिये तो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 के मकान बने हुये बताये हैं ।मौका रिपोर्ट के साथ पुश्त पर नक्शे से भी रेस्पोडेन्ट को जो रास्ता दिया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-251{ए} के अनुसार सभी तथ्यों पर जांच करने के बाद दिया गया है । जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन ...

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ का निर्णय दिनांक 19-5-2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 4.6.2018 को सुनाया गया ।

4/6/18

([illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर